



Phone : 23710519
Fax : (91-11) 23730937, 23730682

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

संख्या

No.

प्रेषक

From

To

15-4/33/85-ओ एण्ड एम (वाल्जूम IV)

दिनांक: 3 जनवरी, 2014

मुख्य सतर्कता अधिकारी
Chief Vigilance Officer

सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन-नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी

विषय:- केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(1)(ii) के तहत समूह 'क' तथा 'ख' के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2013 हेतु वार्षिक संपत्ति विवरणियों का प्रस्तुतीकरण-प्रमाण पत्र भेजने हेतु।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहना है कि परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(1)(ii) के तहत समूह 'क' तथा 'ख' के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2013 का वार्षिक संपत्ति विवरण प्रस्तुत करना है।

इस संबंध में संस्थान/प्रयोगशाला के वरिष्ठ प्रशासन-नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि स्वयं तथा संस्थान/प्रयोगशाला के निदेशक के वार्षिक संपत्ति विवरण दिनांक 31.01.2014 तक अद्योहस्ताक्षरी को प्रेषित करें तथा संस्थान/प्रयोगशाला के अन्य समूह 'क' तथा 'ख' अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2013 का वार्षिक संपत्ति विवरण दिनांक 31.01.2014 स्वयं प्राप्त करें तथा सभी पावतीयों का प्रमाण-पत्र अद्योहस्ताक्षरी को दिनांक 10.02.2014 तक इस कार्यालय में अवश्य प्रेषित कर दें।

जारी....2/-

इस संबंध में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. 11012/11/2007-Estt. A दिनांक 27.09.2011, जिसे सीएसआईआर के पत्र सं. 15-6(82)/98-ओ एंड एम - II, दिनांक 15.01.2013 के द्वारा पृष्ठांकित किया गया था, द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश भी सभी संबंधितों के संज्ञान में पुनः लायें।

भवदीया,

शु. सिंह

(सुषमा सिंह)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. उप सचिव (के.का.), सीएसआईआर मुख्यालय, नई दिल्ली
2. उप सचिव, सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली
3. प्रशासन नियंत्रक, मानव संसाधन विकास केंद्र, गाजियाबाद
- ✓ 4. प्रमुख, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, सीएसआईआर - सीएसआईआर की वेबसाइट पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने हेतु।



Phone : 23710519

Fax : (91-11) 23730937, 23730682

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

स्पीड पोस्ट/दस्ती

15 जनवरी, 2013

संख्या 15-6(82)/98-ओ एंड एम -II

No.

प्रेषक

From

मुख्य सतर्कता अधिकारी

Chief Vigilance Officer

To सीएसआईआर के सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of all National Labs./Instts. of CSIR

Sub: Guidelines regarding grant of 'Vigilance Clearance'.

महोदय,

मैं आपकी सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा दिनांक 27 सितम्बर, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11012/11/2007-Estt.(A) को अग्रेषित कर रही हूँ। कृपया इसकी प्रति सभी सम्बन्धित अधिकारियों को प्रदान की जाए। उपर्युक्त उल्लेख कार्यालय ज्ञापन, सीएसआईआर के परिपत्र अनुक्रमांक सं.401, क्रम सं. 15-6(82)/98-O&M-II दिनांक 17.06.2008 के साथ पढ़ा जाए।

I am to forward herewith a copy of the Office Memorandum No. 11012/11/2007-Estt.(A) of the Govt. of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Deptt. of Personnel and Training) dated 27th September, 2011 on the subject cited above for your information, guidance and necessary action, with a request that the copies of the same may kindly be provided to all concerned. The above cited OM may be read along with CSIR Circular No 401. No.15-6(82)/98-O&M-II dated 17/06/2008.

भवदीया,

23.12.12

(सुषमा सिंह)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

संलग्न : यथोपरि

प्रतिलिपि :

1. सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशा. नियंत्रक /प्रशा. नियंत्रक/प्रशा. अधिकारी
2. महा निदेशक कार्यालय
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन) कार्यालय
4. वरिष्ठ उप सचिव (म.सं.)
5. उप सचिव (के. कार्यालय / म.सं.-I)
6. वरिष्ठ उप सचिव, सीएसआईआर कॉम्प्लैक्स
- ✓ 7. सूचना प्रौ. प्रभाग, सीएसआईआर वेबसाइट पर प्रसारित करने हेतु

No. 11012/11/2007-Estt.A
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

New Delhi, Dated 27th September, 2011

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Guidelines regarding grant of 'Vigilance Clearance' to members of Central Civil Services / Posts.

The undersigned is directed to say that it has been decided by the Government that officers who have not submitted the Annual Immovable Property Returns by the prescribed time would be denied vigilance clearance and will not be considered for empanelment for senior level posts in Government of India.

2. Accordingly, in this Department's OM No. 11012/11/2007-Estt.A dated 14.12.2007, laying down guidelines regarding grant of vigilance clearance to members of Central Civil Services / Posts, in para 2 a new sub-para (f) will be inserted as under:

(f) Vigilance clearance shall be denied to an officer if he fails to submit his annual immovable property return of the previous year by 31st January of the following year, as required under Government of India decisions under Rule 18 of the Central Civil Services (Conduct) Rule, 1964.


(U.S. Chattopadhyay)

Under Secretary to the Government of India

All Ministries / Departments

Copy to:

1. Prime Minister's Office (w.r.t. their I.D. No. 600/31/C/33/2011-ES2, dated 15.03.2011)
2. Cabinet Secretariat
3. Secretary, CVC
4. UPSC
5. C&AG
6. NIC (DOP&T Cell) with the request to upload this O.M. on the website of DOP&T.